संकल्प संख्या–5/न0वि0/वृ०श०परि०(Civic Tower)–03/2017.....1826

झारखण्ड सरकार

नगर विकास एवं आवास विभाग

संकल्प

दिनांक– 18/03/17

विषयः–राँची शहर में "URBAN CIVIC TOWER" निर्माण हेतु कुल रु० 1837683300.00 लागत की योजना पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

74वें संविधान संशोधन की 12वीं अनुसूची के आलोक में राज्य के शहरी स्थानीय निकायों के माध्यम से सरकार शहरी क्षेत्र के नागरिकों को मूलभूत नागरिक सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु कृत संकल्प है।

2. झारखण्ड राज्य के गठन के पश्चात् राजधानी राँची का विकास तीव्र गति से हुआ है। इस क्रम में नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड राजधानी क्षेत्र को एक जीवंत एवं उच्च गुणवत्ता युक्त निवास क्षेत्र तथा गतिशील आर्थिक क्षेत्र के रूप में विकसित करने की योजना है। राँची मास्टर प्लान 2037 में भी अतिरिक्त प्रशासनिक एवं लोक केन्द्र विकसित करने की अनुशंसा की गयी है। राजधानी राँची के Core City Area में पर्याप्त मात्रा में भूमि की अनुपलब्धता एवं संकीर्ण क्षेत्र होने के कारण पहुँच पथ के अभाव के कारण इनका निर्माण संभव नहीं है।

3. उक्त वस्तुस्थिति में राज्य सरकार ने प्रस्तावित स्मार्ट सिटी क्षेत्र में "URBAN CIVIC TOWER" के रूप में एक ऐसा केन्द्र विकसित करने का निर्णय लिया है जो आर्थिक प्रगति का सूचक होने के साथ–साथ स्मार्ट सिटी की महत्त्वपूर्ण व्यावसायिक, आर्थिक गतिविधियों का प्रमुख केन्द्र होगा एवं स्टेट ऑफ द आर्ट (State of the Art) की परिकल्पना को साकार करेगा।

प्रस्तावित "URBAN CIVIC TOWER" में विभिन्न सरकारी, गैर सरकारी एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठानों जैसे–JUIDCO, JUPMI, JUTCOL. Banks, आदि के कार्यालय संचालित किए जाएगें। URBAN CIVIC TOWER में आधुनिक साज–सज्जा के साथ–साथ मानक सुरक्षा प्रणाली, CCTV एवं अग्निशामक की सुविधा उपलब्ध होगी। इसमें बैठक हेतु बैंक्वेट हॉल, प्रशिक्षण केन्द्र एवं मल्टीलेवल पार्किंग की सुविधा उपलब्ध होगी।

उक्त संरचना दो भूतल सहित G+15 होगी, जिसके भूतल में लगभग 470 चारपहिया वहन के पार्किंग की सुविधा होगी। इस संरचना का कुल प्रस्तावित Built Area 491527.56 sq. ft. एवं कुल प्रस्तावित GFA 282116.71 sq. ft. है।

4. उक्त योजना हेतु M/s IK Worldwide - SCP Consultants Pte Ltd. द्वारा तैयार विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन पर मुख्य अभियंता, तकनीकी कोषांग, नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड, राँची द्वारा निम्नवत् तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गयी हैः–

Sl. No	ITEM DESCRIPTION	Amount (In Rs.)
1	PILING WORK	66273797.64
2	EARTHWORK	105007146.80
3	STRUCTURAL WORK	722280288.17
4	MASONRY WORK	24247682.94
5	PLASTER WORK	21051328.69
6	FLOORING/SKIRTING/DADO WORK	42799195.50
7	FALSE CEILING WORK	37093723.71
8	PAINTING WORK	15016422.33
9	WOODEN, JOINERY & ALUMINIUM WORK	15096921.68
10	FAÇADE & METAL WORK	132418589.79
11	WATER PROOFING WORK	19799540.78
12	FIXTURES & FITTINGS	436394.22
13	SPECIALIZED ITEMS	2803206.13
14	LIFT & ELEVATORS	46437500.00
15	MEP WORKS	
15.1	Electrical & Allied Works Both External & Internal	183112345.52
15.2	Plumbing & Allied Works Both External & Internal	34631810.92
15.3	PERMAVOID (Podium Deck Attenuation)	36868710.60
15.4	Fire Fighting & Allied Works Both External & Internal	52654938.25
15.5	HVAC & Allied Works Both High Side & Low Side	127331305.00
SECTION-3: EXTERNAL DEVELOPMENT WORK (PROVISIONAL)		
16	PUMP/DG FOUNDATIONS/PLINTHS	972006.19

16.1	TOTAL OF SECTIONS=	1686332854.86
16.2	Carriage of Material=	39787785.82
16.3	SUB-Total	1726120640.68
16.4	ADD 1% LABOUR CESS	17261206.40
16.5	SUB-TOTAL=	1743381847.08
16.6	ADD 2% FOR PROVISION OF ARTISTIC WORKS	34867630.53
16.7	Centage	59433818.47
16.8	Grand Total-	1837683296.08
16.9	Or Say	1837683300.00

5. उक्त योजना का कार्यान्वयन वित्तीय वर्ष 2016–17 एवं उत्तरोतर वर्षों में वृहत शहरी परिवहन योजनाएँ, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, सिवरेज एवं ड्रेनेज तथा नगरीय आधारभूत संरचना मद के अन्तर्गत निम्नांकित बजट शीर्ष से किये जाने का प्रस्ताव है:–

मुख्यशीर्ष–2217–शहरी विकास–उप मुख्यशीर्ष–80–सामान्य–लघुशीर्ष–796 (191/789) के अन्तर्गत उपशीर्ष–79– वृहत शहरी परिवहन योजनाएँ, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, सिवरेज एवं ड्रेनेज तथा नगरीय आधारभूत संरचना–विस्तृत शीर्ष–06–अनुदान–79–सहायता अनुदान के अन्तर्गत उपबंधित तीनों प्रक्षेत्र (TSP/OSP/SCSP) से की जायेगी, सामान्य (गैर–वेतन)–48P221780796790679.

6. स्वीकृत राशि की निकासी प्रोजेक्ट भवन, कोषागार से की जाएगी जिसके निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड, राँची होंगे। निकासी की गई राशि को सर्वश्री झारखण्ड अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड (सर्वश्री जुडको लि0) द्वारा पी0एल0 खाते में संधारित करते हुए नियमानुसार व्यय किया जाएगा।

7. योजना का कार्यान्वयन नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड, राँची के अन्तर्गत स्थापित सर्वश्री झारखण्ड अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड (सर्वश्री जुडको लि0) के द्वारा खुली निविदा के माध्यम से ससमय सुनिश्चित कराया जाएगा।

8. उपर्युक्त क्रम में सर्वश्री जुडको लि0 को नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखंड के संकल्प संख्या–6821 दिनांक 14.12.2016 के आलोक में अनुमान्य Centage का भुगतान किया जाएगा।

9. URBAN CIVIC TOWER के निर्माण की अवधि 24 माह होगी।

10. उक्त के आलोक में राँची शहर में URBAN CIVIC TOWER निर्माण योजना, जिसकी कुल प्राक्कलित राशि रू० 183,76,83,300.00 (एक सौ तिरासी करोड़ छिहत्तर लाख तिरासी हजार तीन सौ रूपये) है, के कार्यान्वयन हेतु प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

11. उक्त योजना पर दिनांक–15.03.2017 की मंत्रिपरिषद की बैठक में मद संख्या–04 के रूप में प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त है।

आदेशः–आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राज्य के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित किया जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

(अरुण कुमार सिंह)
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–5/न0वि0/वृ०श०परि०(Civic Tower)–03/2017........1826.........राँची, दिनांक–.......18/03/17.......

प्रतिलिपिः–अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची/नोडल पदाधिकारी, ई–गजटीय, नगर विकास एवं आवास विभाग को राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–5/न0वि0/वृ०श०परि०(Civic Tower)–03/2017........1826.........राँची, दिनांक–.......18/03/17.......

प्रतिलिपिः–महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक, नगरीय प्रशासन निदेशालय के आप्त सचिव/प्रमंडलीय आयुक्त एवं उपायुक्त, राँची/नगर आयुक्त, राँची नगर निगम/महापौर, राँची नगर निगम/महाप्रबंधक, जुडको लिमिटेड/परियोजना निदेशक (तकनीकी/प्रशासन), जुडको लिमिटेड/अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग/उप सचिव, बजट शाखा/श्री कुणाल, विशेषज्ञ को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु/ई–प्राक्यूरमेन्ट सेल, नगर विकास एवं आवास विभाग को सूचनार्थ प्रेषित ।

सरकार के प्रधान सचिव।

Manju/Shail/Sanketh-Sankalp-33